न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 70/2018 GCMS No.—2018/00110

रूपसिंह पुत्र भगतावत जाति बनजारा निवासी ग्राम रामजीपुरा, पोस्ट डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी बनवारी लाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. बनवारी लाल पुत्र हरिनारायण, जाति खटीक, निवासी ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. गोपाल लाल पुत्र फूलचन्द जाति बलाई, निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. श्रीमती पुष्प कंवर पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 7, उमराव मीना कॉलोनी, नाई की थडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 01.06.2015

उपस्थितः–

1. श्री उमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा. संख्या 5 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 31.08.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा ग्राम रामजीपुरा स्थित खसरा नंबर 644/1 के तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल तकासमा पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम रामजीपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 644/1, 644/2, 644/3 अलग–अलग खसरा नंबरान की भूमि है जो अलग–अलग खातेदारान के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है। अपीलांट को खसरा नंबर 644 में 4 बीघा भूमि का

दिनांक 05.06.1999 को आवंटन किया गया था। अपीलांट खसरा नंबर 644/3 का अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। खसरा नंबर 644/1 के खातेदार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 खसरा नंबर 644/2 के खातेदार सीताराम, किस्तूरचन्द पिता दामोदर है। रेस्पाडेन्ट्स की भूमि खसरा नंबर 644/1 का रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा था जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिए नामान्तकरण संख्या 280 दिनांक 02.03.2006 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हो जाने की वजह से भूतल परिवहन मंत्रालय के नाम अवाप्त की जा चुकी है जिसके पश्चात खसरा नंबर 644/1 का रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा शेष रहा जो कि उक्त भूमि के खातेदार बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र के द्वारा बेचान किए जाने पर जरिए नामान्तकरण संख्या 253 दिनांक 06.01.2006 के द्वारा आनन्दी देवी पत्नी नारायण लाल के नाम दर्ज अंकित की गयी। इसके पश्चात खसरा नंबर 644/1 की खातेदार आनन्दी देवी ने अलग–अलग विकय पत्रो के माध्यम से उक्त वर्णित भूमि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 को बेचान की गयी। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में रेस्पा0 संख्या 1 लगा0 3 ने अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 644/1 का आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 644/1 का तकासमा आदेश द्वारा खसरा नंबर 644/2 रकबा 3 बीघा रेस्पा0 संख्या 1 को एवं 644/2 रेस्पा0 संख्या 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा को एवं खसरा नंबर 644/4 रेस्पा0 संख्या 3 के नाम अंकित कर दिया। उक्त मूल खसरा नंबर के विभाजन पश्चात मिन बटे नम्बर डाले जाकर 644/1, 644/1/2 व 644/1/3 बढते कम में नंबर डाले जाने चाहिए थे किन्तु रेस्पा0 ने आपस में मिलीभगत कर राजस्व नियमों के विरूद्व पूर्व से ही विद्यमान खसरा नंबरान अंकित कर दिए। आंशिक नकल नक्शा ट्रेस सत्यापित फोटो प्रति मोमिया तरमीमी एकीकरण सन् 1961 ग्राम डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ से प्रमाणित है कि ग्राम रामजीपुरा के सिवाय चक नंबर 644 चांदराणा लिंक रोड से पूर्व दिशा में स्थित है एवं खसरा नंबर 644/1 चांदराणा लिंक रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है जो उक्त नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शित है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा पूर्व नक्शे के विपरीत व पूर्व राजस्व अभिलेखो के विपरीत कम्प्युटराईज्ड नक्शा जारी करके सिवायचक खसरा नंबर 644 को नेशनल हाईवे नंबर 11 ए में दर्शित कर दिया एवं उसके स्थान पर 644/4 अंकित कर दिया गया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपीलांट को आवंटित खसरा नंबर 644/3 को अन्य खातेदार के खसरा नंबर 644/1 के स्थान पर दर्शित कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वार खसरा नंबर 644/1 का तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स संख्या 4 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट के नाम खसरा नंबर 644/3 की अभिलिखित खातेदारी थी जिसके पश्चात खसरा नंबर 644/1 का विधिक बंटवारा करते वक्त खसरा नंबर 644/3 भी दर्ज कर दिये गये इस आधार पर अपील पेश की गयी है। रेस्पाडेन्ट की खातेदारी खसरा नंबर 644/1 तरमीम शुदा थी जिसका विधिक बंटवारा किया गया है। रेस्पाडेन्ट की खातेदारी खसरा नंबर 644/1 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा का विधिक बंटवारा किया गया है तथा बंटवारे द्वारा खसरा नंबर 644/2, 644/3, 644/4 नये नंबर बनाये गये जिसका नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 08.07.2015 को तस्दीक किया गया। अपीलांट को खसरा नंबर 644 सिवाय चक भूमि में से नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 06.01.2018 द्वारा गैर खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज कर खसरा नंबर 644/3 रकबा 4 बीघा कायम किये गये जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को खसरा नंबर 644/3 का आवंटन हुआ है। कानूनन पश्चातवर्ती खसरा नंबर अपीलांट को प्राप्त हुआ है वही दुरूस्तनीय है। चूंकि अपीलांट खसरा नंबर 644/1 का सहखातेदार नहीं है और न ही दिनांक 01.06.2015 को खसरा नंबर 644 का खातेदार रहा है। खसरा नंबर 644/1, 644/2, 644/3 की खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि रूपान्तरण कर कृषि से कृषि एग्रो प्रोसेज में भू रूपान्तरण किया गया, जिसके पश्चात रेस्पा0 संख्या 4 के नाम विक्रय पत्र तस्दीक किये गये ऐसी स्थिति में अब दिनांक 01.06.2015 के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। **DILRMP** योजना के फार्म को धारावाहिक रूप से गति प्रदान करते हुये व सेकिगेशन योजना अर्न्तगत खसरा नंबर 644 मूल नंबर से आवंटित नंबरो को व विधिक बंटवारे में किये गये नंबरो की रिकॉर्ड दुरूस्ती की रिपोर्ट आईएलआर द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्राप्त कर दिनांक 14.08.2019 द्वारा दुरूस्ती रिकॉर्ड कर नये रिकॉर्ड में खसरा नंबर 644, 644/3, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 644/9, 644/10 की सिरियल नंबर में कायम कर नक्शा व जमाबन्दी का रिकॉर्ड दुरूस्त कर दिया गया है। वर्तमान में खसरा नंबर 644/3 के खातेदार अपीलांट रूपसिंह के नाम एवं खसरा 644/2 के खातेदार सीताराम, किश्तुरचन्द एवं खसरा नंबर 644/4, 644/5, 644/6 रेस्पा. संख्या 4 पुष्प कंवर के नाम दर्ज कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में अपील प्रभावहीन हो चुकी है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि का बेचान दीगर व्यक्ति को कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश नियमानुसार खातेदार काश्तकार की सहमति से स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त तकासमा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त तकासमा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम रामजीपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 644/1 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में तहसीलदार जमवारामगढ के तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा नये खसरा नंबर 644/2, 644/3, 644/4 बनाये गये। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा नये खसरा नंबर 644/2, 644/3 बनाये गये है जबकि खसरा नंबर 644/2, 644/3 पूर्व ही क्रमशः सीताराम व अपीलांट के नाम दर्ज थे एवं अपीलांट को खसरा नंबर 644/3 में भूमि आवंटित की गयी थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट को खसरा नंबर 644 में से रकबा 4 बीघा का आवंटन दिनांक 05.06.1999 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया एवं अपीलांट को नये खसरा नंबर 644/3 में रकबा 4 बीघा का गैर खातेदारी का नामान्तकरण 06.01.2018 को स्वीकृत किया गया तथा खातेदारी का नामान्तकरण दिनांक 08.01.2018 को स्वीकृत किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि रूपसिंह को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही अपीलाधीन तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 को पारित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खसरा नंबर 644/1 का विभाजन कर विभाजन पश्चात मिन बटे नंबर नहीं डालकर खसरा नंबर 644/2, 644/3, व 644/4 इन्द्राज किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबरान की त्रुटि की गई है, इसी कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 14.08.2019 को **DILRMP** योजना में रिकॉर्ड को ऑनलाईन करने हेतु 121 की प्रकिया में दोहरे खसरा नंबरान के नक्शे में अंकित व तरमीम किया जाना गलत मानते हुए नये रिकॉर्ड में खसरा नंबर 644, 644/3, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 644/9, 644/10 की सिरियल नंबर में कायम कर नक्शा व जमाबन्दी का रिकॉर्ड दुरूस्त कर दिया गया है। रिकॉर्ड दुरूस्ती के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074–2076 अनुसार ग्राम रामजीपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 644/3 रकबा 1.016 है0 वर्तमान में अपीलांट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। न्यायालय हाजा को भूमि की तरमीम/नक्शा दुरूस्ती में शुद्धि के बिन्दु पर क्षेत्राधिकार निहित नहीं है, अपीलांट भूमि की तरमीम/नक्शा दुरूस्ती के बिन्दु पर सक्षम न्यायालय स्तर पर चाराजोई करें। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा 1 बीघा भूमि का बेचान भी दीगर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

व्यक्ति को कर दिया गया है। न्यायालया हाजा द्वारा अपील संख्या 33/18 बउनवानी सीताराम बनाम मंजू देवी में पारित आदेश दिनांक 27.06.2018 में अपीलाधीन तकासमा आदेश दिनांक 01.06.2015 के अनुसार तस्दीक नामान्तकरण संख्या 577 के विरूद्व तरमीम के बिन्दु पर अपील खारिज की गयी है। अपीलाधीन तकासमा आदेश सहमति से विभाजन के आधार पर तस्दीक किया गया है एवं भूमि विभाजन के आधार पर कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना जाहिर होता है तथा खसरा नंबरान की त्रुटि को **DILRMP** योजना में रिकॉर्ड पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जा चुका है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर